

(257)

: 2 :

चलाये जाने का आश्वासन चाहा है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि वन विभाग से सम्पर्क करके समस्या का समाधान किया जाय तथा रोप-वे प्रोजेक्ट को प्राधिकरण अपने द्वारा अथवा अपने सुपरवीजन में चलाए। अन्य प्रकरणों पर चल रही कार्यवाही को जारी रखने के निर्देश के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि सर्वसम्मति से की गयी।

मद संख्या :- 2

विषय :- वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक बजट पर विचार।

प्राधिकरण के समक्ष वर्ष 1989-90 के वास्तविक आय-व्यय तथा वर्ष 1990-91 के प्रस्तावित आय-व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तावित बजट पर स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रस्तुत बजट का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

बजट चर्चा के दौरान अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि प्राधिकरण के कार्यकलापों में वृद्धि की जाय। तदनुसार प्राधिकरण की आय एवं व्यय सीमाओं में भी बढ़ोत्तरी होनी चाहिये। हड़को आदि संस्थाओं से ऋण प्राप्त करके योजनाओं को चलाए जाने तथा शासन से ऋण/अनुदान प्राप्त करने के निर्देश दिए गए।

प्राधिकरण के विस्तृत क्षेत्र एवं वाहन की कमी को ध्यान में रखते हुए एक मारुति जिप्सी क्रय करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। 1 अप्रैल, 1990 से 19 अप्रैल, 1990 के बीच बजट स्वीकृति के अभाव में प्राधिकरण द्वारा जो व्यय किए गए हैं उनका भी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया गया।

मद संख्या :- 3

विषय :- शासकीय इमारतों पर विकास शुल्क लिए जाने के संबंध में विचार।

प्राधिकरण के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया था कि शासकीय नियमों में शासकीय इमारतों पर कोई विकास शुल्क लिए जाने अथवा न लिए जाने का कोई प्राविधान नहीं है, परन्तु व्यवहारिक रूप से शासकीय विभाग न तो मानचित्र स्वीकृत कराते हैं और न ही विकास शुल्क की अदायगी करते हैं। ऐसी स्थिति में केवल शासकीय इमारतों पर विकास शुल्क न लिए जाने तथा प्रत्येक शासकीय विभाग द्वारा प्राधिकरण के

.....3

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार ।

प्रस्तावित बजट वर्ष - 1990-91

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की स्थापना मई, 1986 में हुई थी । विगत वर्ष 1989-90 का बजट प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19-6-89 में प्रस्ताव संख्या-22 द्वारा पारित किया गया था । वर्ष 1989-90 में शासन से कोई अनुदान अथवा ऋण प्राप्त नहीं हुआ है ।

वर्ष 1990-91 के प्रस्तावित बजट पर संक्षिप्त टिप्पणी :-

1- राजस्व आय :-

वित्तीय वर्ष 1989-90 में रुपये- 29.35 लाख की आय प्रस्तावित थी, इसके विरुद्ध रुपये- 43.46 लाख की आय हुई । इस प्रकार राजस्व आय अनुमानित आय से रुपये- 14.11 लाख अधिक हुई ।

वित्तीय वर्ष 1990-91 में राजस्व आय की मद में रुपये 48.30 लाख की आय प्रस्तावित की गई है । जिसका विवरण संलग्न है ।

2- राजस्व व्यय :-

वित्तीय वर्ष 1989-90 में इस मद में रुपये 27.83 लाख का व्यय प्रस्तावित था । इसके विपरित रुपये 18.39 लाख व्यय हुआ है । इस प्रकार प्रस्तावित व्यय के विरुद्ध वास्तविक व्यय रुपये 9.44 लाख कम है ।

3- पूँजीगत आय :-

इस मद में वर्ष 1989-90 में रुपये-238.50 लाख की आय प्रस्तावित थी, इसके विरुद्ध रुपये 35.99 लाख की आय हुई । अनुमान से आय कम होने का कारण शासन से प्रस्तावित अनुदान तथा ऋण प्राप्त नहीं होना तथा आवासीय योजना हेतु भूमि अधिग्रहण न हो पाना रहा ।


वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये इस मद में रुपये 329.50 लाख की आय प्रस्तावित की गई है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सराय रोड़ की भूमि अधिग्रहण को कार्यवाही जो अन्तिम चरण में है, पर आवासीय योजना ~~बनकर~~ को पूर्ण करके लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा ।

4- पूँजीगत व्यय :-

वर्ष 1989-90 में इस मद में रुपये-213.75 लाख के व्यय का प्रस्ताव किया गया इसके विरुद्ध रुपये- 58.28 लाख का व्यय किया गया है । आवासीय एवं व्यवसायिक योजनाओं से प्रस्तावित आय न होने के कारण व्यय में कमी रही । वर्ष 1990-91 हेतु इस

में रुपये 316.75 लाख व्यय प्रस्तावित है। प्राधिकरण का क्षेत्र काफी विस्तृत है। वाहन की कमी के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है। अतः कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु एक मारुति जिप्सी क़य करने का भी प्रस्ताव है।

वित्तीय वर्ष 1990-91 का बजट एक दृष्टि में संलग्न करते हुए प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



1990-91 का बजट :-

शुद्ध आय

क्र.सं०	आय के शीर्षक	वर्ष 88-89को वास्तविक ₹लाख ₹0में	वर्ष 89-90 की अनुमानित ₹लाख ₹0में	31-3-90तक वास्तविक ₹लाख ₹0में	वर्ष 1990-91 का प्रस्तावित ₹लाख ₹0 में
1	2	3	4	5	6
1.	<u>राजस्व आय :-</u>				
1	स्टाम्प शुल्क	--	12.00	13.14	15.00
2	विनियोगों से आय	2.17	2.50	4.58	4.75
3	भवन नियन्त्रण विभाग की भदों से आय :-				
क	मानचित्र शुल्क	1.30	1.50	1.08	1.10
ख	समाधान शुल्क				
	कम्पाउन्डिंग फीस	2.23	2.00	4.14	4.50
ग	लाइसेंस फीस	0.11	0.10	0.15	0.15
घ	न्यायालयों से प्राप्त अर्धदण्ड	--	0.10	--	0.10
4	पत्रों की बिक्री	0.07	0.10	0.16	0.50
5	विकास शुल्क	12.10	10.00	18.49	20.00
6	भूमि उपयोगपरिवर्तन शुल्क	--	0.20	--	0.10
7	प्रयवेक्षण शुल्क	0.34	0.75	1.71	2.00
8	विविध प्राप्ति	0.03	0.10	0.01	0.10
	राजस्व आय का योग:-	18.35	29.35	43.46	48.30

वर्ष 1990-91 का बजट :-

₹क० व्यय

क्र०	व्यय के शीर्षक	वर्ष 88-89 का वास्तविक ₹लाख०में	वर्ष 89-90 अनुमानित ₹लाख०में	31-3-90 तक वास्तविक ₹लाख०में	वर्ष 90-91 का पुस्तावित ₹लाख०में
1	2	3	4	5	6
	राजस्व व्यय				
1.	अधिष्ठान के वेतन एवं भत्ते				
1.1	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते	5.78	10.00	7.40	12.00
2.2	अवकाश नकदीकरण	0.12	0.25	0.16	0.35
3.3	सामूहिक बीमा योजना	0.09	0.15	0.10	0.15
4.4	बोनस	0.16	0.30	0.29	0.35
5.5	यात्रा भत्ता	0.41	0.80	0.36	0.50
6.6	चिकित्सा भत्ता	0.03	0.10	0.13	0.10
7.7	दैनिक वेतन	0.31	0.50	0.41	0.75
2.	वाहनों पर व्यय				
1.1	वाहन मरम्मत एवं अनुरक्षण	0.22	0.40	0.40	0.40
2.2	पैट्रोल/डीजल	0.57	0.90	0.49	0.75
3.	कार्यालय व्यय				
1.1	डाक टिकट	0.04	0.06	0.04	0.06
2.2	स्टेशनरी	0.18	0.30	0.19	0.30
3.3	कार्यालय भवन अनुरक्षण	0.02	0.25	0.13	0.15
4.4	टेलीफोन	0.02	0.10	0.05	0.10
5.5	पुस्तकें व समाचार पत्र क्रय	0.02	0.05	0.03	0.05
6.6	कानूनी व्यय	0.01	0.10	0.02	0.10
7.7	सत्कार व्यय	0.03	0.15	0.10	0.50
8.8	छपाई व्यय	0.08	0.25	0.16	0.25
9.9	विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	0.09	0.25	0.51	0.60
10.10	आडिट फीस	—	0.50	0.14	0.25
11.11	बिजली उपकरण	0.05	0.10	—	—
12.12	विविध व्यय	0.19	1.00	0.29	0.50
13.13	अस्थाई अग्रिम	0.25	0.10	0.27	0.10
14.14	उपकरण व्यय/अनुरक्षण	0.05	0.10	0.01	0.05
15.15	स्थाई अग्रिम	0.01	0.02	0.01	0.02
16.16	विगुत व्यय व अनुरक्षण	0.13	0.10	0.05	0.10
4.	अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अग्रिम				
1.1	वाहन हेतु अग्रिम	—	—	—	0.05
2.2	भवन निर्माण अग्रिम	—	—	—	—
5.	आधारिक पूंजी पर ब्याज का भुगतान	4.48	5.50	5.12	5.20
6.	महायोजना सर्वेक्षण पर व्यय	0.31	5.50	0.06	1.65
7.	विकास कार्यों पर व्यय	—	—	1.47	20.00
	राजस्व व्यय का योग :-	13.65	27.83	18.39	45.38

1990-91 का बजट :-

आय -

वर्ष 1988-89 की वास्तविक	वर्ष 1989-90 की अनुमानित	31-3-90 तक वास्तविक	वर्ष 1990-91 का पुस्तावित
लाख रु० में	लाख रु० में	लाख रु० में	लाख रु० में
3	4	5	6
पूँजोगत आय			
1. आधारिक पूँजी			
1.1. शासन से ऋणी के रूप में	5.64	---	10.00
2. पर्वतीय विकास विभाग से प्राप्त आधारिक पूँजी	---	15.00	15.00
3. स्थापना अनुदान	---	1.00	1.00
4. त्रिभुज आवासीय योजना			
भूखण्डों/भूखण्डों का पंजीकरण बिक्री आदि	18.19	7.50	1.00
त्रिभुज आवासीय योजना भाग- द्वितीय			
भूखण्डों/भूखण्डों/दुकानों का पंजीकरण बिक्री आदि	---	---	1.40
5. त्रिभुज आवासीय योजना			
भूखण्डों का पंजीकरण बिक्री आदि	10.33	50.00	26.02
6. तराय रोड आवासीय योजना			
भूखण्डों/भूखण्डों का पंजीकरण बिक्री आदि	---	---	100.00
7. भावो योजनाओं से आय	---	---	10.00
8. केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की योजनाएं			
सुलभ शौचालयों हेतु अनुदान	---	---	---
9. सड़क निर्माण हेतु शासन से अनुदान	---	10.00	10.00
10. स्टेडियम का निर्माण शासन से अनुदान	---	20.00	---
11. कार्यालय भवन हेतु शासन से अनुदान	---	10.00	---
12. ऋणों की प्राप्ति			
क. हडको से	---	75.00	50.00
ख. बैंको से	---	---	50.00
ग. शासन से भूमि अध्याप्ति	---	50.00	25.00
पूँजोगत आय के योग :-	34.16	238.50	329.50

1990-91 का बजट :-

व्यय

10 व्यय के शीर्षक	वर्ष 88-89 का वास्तविक लाख रुमें	वर्ष 89-90 का अनुमानित लाख रुमें	31-3-90 तक वास्तविक लाख रुमें	वर्ष 1990-91 का प्रस्तावित लाख रुमें
	3	4	5	6
<u>पूँजीगत व्यय</u>				
1. कार जीप एवं मशीनरी सम्पन्न भवन आदि	0.32	1.50	0.75	2.50
2. पत्राचार एवं फिक्सर्स	0.28	0.25	0.31	0.50
3. आवासीय योजना हेतु भूमि का क्रय				
1. टिबड़ी हरिद्वार में 5 एकड़ भूमि का क्रय	5.90	7.00	---	---
2. अजिमेडा नगर पालिका को भूमि का क्रय	5.00	5.00	5.00	5.00
3. शिवनोदक पेन-आवासीय योजना-	---	8.00	5.00	3.00
4. सराय रोड़ आवासीय योजना	---	---	---	100.00
5. भावी आवासीय एवं व्यावसायिक योजना	---	10.00	---	10.00
<u>आवासीय योजनाओं पर व्यय</u>				
1. शिवनोदक आवासीय योजना हरिद्वार	8.15	20.00	9.65	10.00
2. अजिमेडा की अजिमेडा आवासीय योजना	19.20	35.00	21.00	35.00
3. शिवनोदक भाग-2 पर व्यय	---	---	0.60	90.00
4. सराय रोड़ आवासीय योजना	---	---	---	25.00
5. योजना व्यय हेतु अग्रिम	---	---	14.73	10.00
6. योजना संबंधी विविध व्यय	---	---	0.34	1.00
7. हरिद्वार में स्टेडियम के निर्माण की योजना	---	20.00	---	---
8. प्राधिकरण के अधिकारियों के लिए आवास निर्माण	---	10.00	---	10.00
9. प्राधिकरण कार्यालय का निर्माण, श्रम ले अनुमोदन प्राप्त होने पर	---	10.00	---	---
10. केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण द्वारा पोस्ती योजनाएं	---	---	0.67	4.50
11. सुलभ शौचालयों का निर्माण	---	---	---	10.00
12. तड़को का निर्माण/विकास कार्य आदि	---	15.00	0.23	0.25
13. श्रमों का प्रतिदान	---	---	---	316.75
पूँजीगत व्यय का योग:-	38.85	213.75	58.28	

बजट एक दृष्टि में :-

	<u>वर्ष 1989-90 का अनुमानित</u>	<u>31-3-1990 तक वास्तविक</u>	<u>वर्ष 1990-91 का पुस्तावित</u>
राजस्व आय	29.35	43.46	48.30
पूँजीगत आय	238.50	35.99	329.50
कुल आय=	<u>267.85</u>	<u>79.45</u>	<u>377.80</u>
राजस्व व्यय	27.83	18.39	45.38
पूँजीगत व्यय	213.75	58.28	316.75
कुल व्यय	<u>241.58</u>	<u>76.67</u>	<u>362.13</u>
अन्तिम अवशेष-	<u>26.27</u>	<u>2.78</u>	<u>15.67</u>

टिप्पणी :-

वर्ष 1990-91 के प्रारम्भ से अब तक किये गये व्यय जिनके स्वीकृति
अध्यक्ष महोदय से प्राप्त की गयी थी। वे बजट के उक्त अँकड़ों में ही सम्मिलित हैं।

से यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के गठन के पूर्व के निर्माणों पर साधारणतः कोई जांच न की जाए क्योंकि इस बात का विश्वसनीय एवं उचित प्रमाण दिया जाये कि प्रश्नगत निर्माण उस तिथि से पूर्व का ही है और बाद में उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। यदि भवन स्वामी भवन कर दे रहा है तो ऐसे निर्माण की वैधता की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। प्राधिकरण का यह निर्णय नए मामलों में ही लागू होने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या :- 6

विषय :- विकास व्यय की दरों के संबंध में विचार।

विगत बैठक में जन प्रतिनिधियों की अपेक्षा के अनुसार प्राधिकरण के समक्ष यह स्पष्ट किया गया कि शासकीय आदेशों के अनुसार विकास शुल्क लिया जाना अनिवार्य है। प्राधिकरण में क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से कम दरों पर ही विकास शुल्क प्राधिकरण के अनुमोदन के अनुसार लिया जा रहा है। प्राधिकरण के समक्ष यह भी अनुरोध किया गया कि निर्माण कार्यों की दरों में निरन्तर बढ़ोत्तरी तथा विकास कार्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए ऋणिकेता, मुनि की रेती एवं स्वर्गाश्रम क्षेत्र में विकास शुल्क की दरें हरिद्वार क्षेत्र के समान ही होनी चाहिए।

विचारोपरान्त यह मत व्यक्त किया गया कि ऋणिकेता क्षेत्र में जल आपूर्ति गढ़वाल जल संस्थान द्वारा की जाती है अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र में वर्तमान दरों को ही लागू रखा जाए अर्थात् प्राधिकरण की बैठक दि०: 30.11.87 की मद सं०- 4 व 5 द्वारा अनुमोदित दरें हरिद्वार विकास क्षेत्र में लागू रहेंगी।

मद संख्या :- 7

विषय :- चित्रा टाकिज के सामने नगर पालिका द्वारा खोको के स्थान पर दुकान बनाने के मानचित्र पर विचार।

प्रश्नगत स्थल पर 126 मीटर के बीच में पक्की दुकानें बनाने का प्रस्ताव नगर पालिका हरिद्वार द्वारा रखा गया। इस संबंध में प्राधिकरण के समक्ष विशेष रूप से यह तथ्य रखे गए कि प्रश्नगत क्षेत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग की मुख्य सड़क के किनारे स्थित होने, रेलवे सम्पर्क से मिला हुआ होने, इस स्थल पर रोड साईड लैंड कंट्रोल एक्ट